कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, बेरीनाग (पिथौरागढ़)

फोन नं0 – 05964–244117 फैक्स नं0 –05964–244622 ई–मेल–eepwdberinag@rediffmail.com

दिनांक 25/02/2022

पत्रांक 230 / 27 सी

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
पिथौरागढ़।

विषय : जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा गंगोलीहाट में पाताल भुवनेश्वर, दौला, नानी शीतला, भूल की अध्याली, चामाचौड चौखुना मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.905 है0 वनभूमि का गैर वानकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन (प्रपोजल नं0 FP/UK/ROAD/148101/2021)

सन्दर्भः ई0डी0एस0 दि0 19–11–2021

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के अनुपालन में प्राप्त आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण कर निम्नवत प्रेषित है :–

क्र. सं0	मॉगी गई सूचना	उत्तर
1	प्रतिवेदन प्रस्ताव में संलग्न नहीं है। कृपया प्रतिवेदन प्रस्ताव में संलग्न करें।	प्रतिवेदन तैयार कर यथास्थान अपलोड कर दिया गया है। हार्ड कापी 5–5 प्रतियों में संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।
2	प्रस्ताव में संलग्न परियोजना की लैन्ड शैड्यूल के प्रमाण पत्र में सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर अपेक्षित है।	वनभूमि हस्तान्तरण हेतु निर्धारित प्रारूप के अनुसार आरक्षित वनभूमि के लैण्ड शैड्यूल में प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर एवं सिविल एवं वन पंचायत भूमि के लैण्ड शैड्यूल में जिलाधिकारी के हस्ताक्षर है जो प्रस्ताव में संलग्न है।
3	प्रस्ताव में साइट निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न नहीं है। साइट निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न करें।	साईट निरीक्षण रिपोर्ट अपने स्तर से तैयार कर अपलोड करने की कृपा करें।
4	प्रस्ताव में संलग्न प्रारूप 47 (आम सभा का अनापत्ति प्रमाण पत्र) में ग्राम प्रधान के हस्ताक्षर अपेक्षित है एवं सम्पन्न बैठक की उपस्थिति प्रस्ताव में संलग्न नहीं है।	प्रस्ताव में संलग्न प्रारूप 47 (आम सभा का अनापत्ति प्रमाण पत्र) में ग्राम प्रधान के हस्ताक्षर करवा लिये गये है। सम्पन्न बैठक उपस्थिति में प्राप्त कर यथा स्थान अपलोड कर दी गई है। आम सभा का अनापत्ति एवं सम्पन्न बैठक की उपस्थिति की हार्डकापी 5--5 प्रतियों में संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।
5	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा राष्ट्रीय पार्क /वन्य जीव अभ्यारण्य सम्बन्धी प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न नहीं है। कृपया प्रस्ताव में संलग्न करें।	राष्ट्रीय पार्क वन्य जीव अभ्यारण्य सम्बन्धी प्रमाण पत्र अपने स्तर से अपलोड करने की कृपा करें।
6	प्रस्तावित योजना यदि किसी राष्ट्रीय पार्क / वन्य जीव अभ्यारण्य के 10 किमी0 की परिधि में आता है तो मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करें।	प्रस्तावित परियोजना किसी राष्ट्रीय पार्क /वन्य जीव अभ्यारण्य के 10 किमी0 की परिधि में नहीं आता है (लागू नहीं।

क्र. सं0	भारत सरकार द्वारा मॉगी गई सूचना	उत्तर
7	हवाई दूरी का प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न नहीं है। कृपया प्रस्ताव में संलग्न करें।	हवाई दूरी का प्रमाण पत्र यथास्थान अपलोड कर दिया गया है। हार्ड कापी 5–5 प्रतियों में आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित है।
8	प्रस्ताव की 3 छाया प्रतियॉ इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव की एक मूल प्रति भी इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।	प्रस्ताव की एक ही मूल प्रति कार्यालय प्रयोग हेतु संचित है। प्रस्ताव की स्कैन्ड प्रतियॉ आपको पूर्व में प्रभागीय वनाधिकारी के माध्यम से प्रेषित कर दी गई है।

अतः अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

भवदीय

अधिशासी अभियन्ता

अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0 बेरीनाग

22/2/2022